सं0 : 84/22

1:– शंभुलाल पिता बंशीलाल जाति सुथार निवासी काटून्दा हा0मु0
बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.

.... वादी

– बनाम –

1:– बंशीलाल पिता गिरधारी लाल जाति सुथार निवारी काटून्दा तह0 बेगू
2:–सत्यनारायण पिता बंशी लाल जाति सुथार निवारी काटून्दा तह0 बेगू
3:– गोपाल पिता बंशीलाल जाति सुथार निवारी काटून्दा तह0 बेगू
4:– रतन लाल पिता बंशीलाल जाति सुथार निवारी काटून्दा हा0मु0 चारभुजा फर्नीचर तेजाजी चौक बिजौलिया जिला भीलवाडा राज.
5:– कला पत्नि नारायण जाति सुथार निवासी चावण्डीया पोस्ट खेडी तह0 बेगू
6:– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगू

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: एम.डी शर्मा
अधिवक्ता वादी
अनिल शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 08–08–2023

निर्णय वाद अ0धा0 88 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 88,188 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री एम.डी शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

कि मौजा काटून्दा प0ह0 काटून्दा तह0 बेगू जिला चित्तौडगढ़ की खतौनी सं0. 49 में निम्न आराजीयात वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 बंशीलाल पिता गिरधारी जी सुथार के नाम 1/15 हिस्सा दर्ज रिकार्ड होकर निम्न प्रकार स्थित है

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
49	150	1.0400
	155	0.5200
	158	0.5900
	163	0.8300
	978	0.2800
	980	0.4500
	981	0.1400
	984	0.3000
	985	0.1400
	99	0.1100
	1983/154	0.7700
	किता–11	5.1700हैक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested

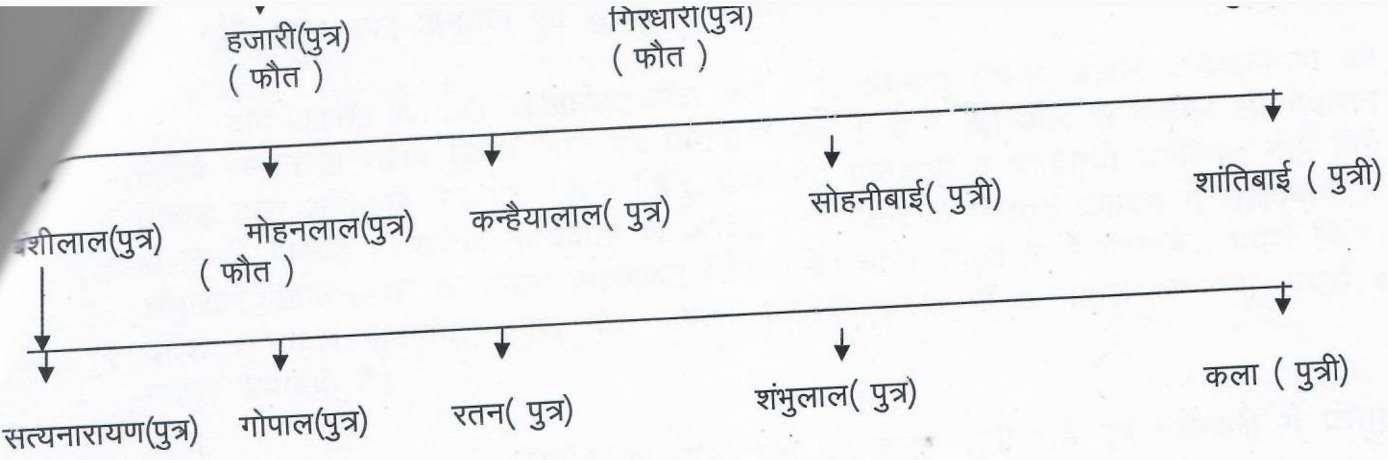

कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक भूमि होकर मेरे दादाजी गिरधारी पिता उदा जी सुथार के नाम पर भी दर्ज रिकार्ड थी। मेरे दादाजी गिरधारी जी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि विरासत से मेरे पिताजी बंशीलाल जी व उनके भाईयों के नाम दर्ज रिकार्ड हुई ।

कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 से 4 आपस में उक्त आराजीयात का मौखिक विभाजन करके अपने अपने हिस्से में खेती करते आ रहे है। परन्तु दिनांक 22.10.2017 को प्रतिवादी सं. 1 से 4 हमसलाह होकर मेरे हिस्से की आराजीयात पर आ कर मेरे साथ गाली–गलौज करने लग गये एवं मुझे मेरे हिस्से की जमीन से बेदखल कर उक्त समस्त भूमि ''जो प्रतिवादी सं. 1 के दर्ज नाम रिकार्ड है '' को प्रतिवादी सं. 2 से 4 के वसीयत, दान,या अन्य किसी माध्यम से हस्तान्तरित करवाने बाबत कहा और कहा की अब तु उक्त कृषि आराजीयात पर आना जाना बन्द कर दे अब तेरा यहा कुछ भी नहीं है एवं कहा की काश्त करनी है तो अपने पैसे से अन्य जगह जमीन खरीदकर काश्त करना कहकर मुझ वादी को प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने मिलकर खेत से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया व मुझे उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है।

कि उक्त कृषि आराजीयात पैतृक होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक संपत्ति है जिस पर मेरा जन्म से ही अधिकार समाहित है जिसके कारण ही मे अपने हिस्से की भूमि पर काश्त कर रहा हू। प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उक्त आराजीयात ''जो प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से की है'' प्रतिवादी सं. 2 से 5 को वसीयत करने, दान करने या अन्य किसी माध्यम से उक्त कृषि आराजीयात हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं है क्योंकि पैतृक संपत्ति के प्रत्येक हिस्से पर मुझ वादी का भी जन्म से ही अधिकार है जिससे मुझे प्रतिवादी सं. 1 वंचित नहीं कर सकता।

कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात जो पैतृक संपत्ति होकर विरासत से वारीसान के नाम चली आ रही है एवं उक्त आराजीयात का वादी भी एक वारिस है । प्रतिवादी सं. 1, वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से वंचित करना चाहता है इसलिए वादी द्वारा अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने एवं प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 2 से 5 व अन्य के नाम पर किसी भी माध्यम से हस्तानांतरण नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का यह वाद पत्र न्यायालय श्री मान में पेश किया जा रहा है।

यह है कि वाद कारण दिनांक 22.10.2017 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर उक्त कृषि [illegible] प्रतिवादी सं. 2 से 5 के नाम पर हस्तान्तरण करवाने की कह कर मुझ वादी को धक्का [illegible] र कर हक हिस्से की भूमि से बाहर निकाल देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह है कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात [illegible] श्री मान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद न्यायालय श्री मान में प्रस्तुत है।

यह है कि वाद मुल्यांकन 2 लाख रूपये कायम माना जाकर निर्धारित न्याय शुल्क पर वाद मय सम्मन ,प्रोसेस , नकलों आदी के साथ पेश है।

कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण 'वादपत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादी के हक हिस्से की घोषणा किए जाने व प्रतिवादी सं. 1 को उसके नाम दर्ज उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात को प्रतिवादी सं. 2 से 5 व अन्य किसी के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:36:03 IST
Reason: SelfAttested

रण नहीं किए जाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने कि आज्ञाप्ति फरमाई

कि वाद व्यय वकिल मेहनताना, जो भी सुलभ हो वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण लाया जावे।

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद अ0ध0 88,188 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं0 1 से 5 की ओर से वकील श्री देवाराम धाकड़ द्वारा अधिकार पत्र पेश किया किंतु अधिवक्ता प्रतिवादी व प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाने के पश्चात प्रकरण में साक्ष्यवादी में शंभुलाल, ओंकारलाल के बयान कलमबद्ध किये गये। वादी शंभुलाल ने दस्तावेज प्रदर्श किये। प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी, प्रदर्श पी2 नकल जमाबंदी, प्रदर्श पी 3 नकल जमाबंदी, प्रदर्श 4 नकल जमाबंदी है।

वाद अ0ध0 88,188 RTA पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन किया गया।

प्रर्दश–1 नकल जामाबंदी सम्वत् 2072–2075 में वादी का नाम दर्ज अंकित नहीं है। प्रदर्श 2,3,4 नकल जमाबंदी है उक्त आराजीयात पैतृक होकर संयुक्त सहखातेदारान की है जिसका विधीवत विभाजन भी नहीं हुआ है। व वादी ने अपने बयानों मे से कथन स्वीकार किया है कि मेरे नाम पर जो जमीन अलौट हुई थी जो मेने बेच दी है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण नही बनाये गये है। और न ही अपना कितना नोसनल शेयर है यह भी अपने वादपत्र में अंकन नहीं किया है उक्त आराजीयात जमाबंदी अनुसार सह खातेदारान की है जिसका अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि विभाजन से पूर्व खातेदार का किस अराजीयात में हिस्सा होगा। यह आराजीयात के विभाजन के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए दावा खारिज होने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ0धा0 88,188 RTA का सिद्ध नहीं होने से एतद द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को सरे इजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested